		में जारी हुए
14.03.22	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.5.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 0.2300हे0, 308 रकबा 0.0600हे0, 329 रकबा 0.1000हे0 किता 3 रकबा 0.3900हे0 वाके ग्राम बिदरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 10.5..22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
10-5-22	वकील प्रार्थी उप०। वास्ते इंतजार तामील मे दिनांक 21.6.22 को पेश हो।	

21-6-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं~~। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 16-8-22 को पेश हो।

रीडर

16.8.22 वकील प्रार्थी उप.। वास्ते इंतजार तामील में दि. 25-8-22 को पेश हो।

१५-७-२२ पत्रावली पेश हुई। वादी का मुतवाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र भी खारिज किया है। पत्रावली फस्ल शुमार होकर सालग्न मुतवाद रहे।

[signature]